ओम प्रकाश बनाम मोहन राम मु० क्र० 115/2020

12.6.2024 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिकाल पेशी पेश करने पर प्रतावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र d/L अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। प्रतावली नस्थर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

ओमप्रकाश
d.art

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर